अनिल कुमार जायसवाल
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-11/2021- 2793 /वि०स० । दि० 20/9/2021

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 26 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । तृतीय सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वरीय सदस्य सदन की परंपरा और गरिमा को समझते हैं । वर्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए एक दिन, राजकीय विधेयक के लिए दो दिन एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए एक दिन निर्धारित है । यह सत्र छोटा होते हुए भी महत्वपूर्ण है । इसमें आप सबों की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश की समस्याओं का निवारण करने के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श आप सबों की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति होने से ही सफल हो पायेगा । बिहार की जनता ने सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है । मुझे विश्वास है कि सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा के लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र सदस्य श्री राज कुमार सिंह निर्वाचन क्षेत्र संख्या-144 (मटिहानी) द्वारा जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में विलय किये जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान के दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन लोक जनशक्ति पार्टी विधायक जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक- 06 अप्रील, 2021 से प्रदान कर दी गयी है । अब श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स० जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं ।

अध्यादेश

पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 की प्रति सभा मेज पर रखा गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 26 जुलाई, 2021 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया । दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा यह स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-3516, दिनांक-26.04.2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-4412, दिनांक-23.05.2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदनों ''राजस्व प्रक्षेत्र'' एवं ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का ''राजस्व प्रक्षेत्र'' एवं ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''
4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
7. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-85, दिनांक-17.03.2021 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
8. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, दिनांक-25.11.2020; एस०ओ०-192, 193, 194, 195, 196, दिनांक-11.12.2020; एस०ओ०-197, दिनांक-17.12.2020; एस०ओ०-199, 200, 201, 202, 203, 204, दिनांक-18.12.2020; एस०ओ०-205, 206, दिनांक-23.12.2020; एस०ओ०-241, 73, दिनांक-30.12.2020; एस०ओ०-74, 75, दिनांक- 14.01.2021; एस०ओ०-84, दिनांक-12.03.2021; एस०ओ०-86, दिनांक-26.03.2021; एस०ओ०-99, 100, 101, दिनांक-02.06.2021; एस०ओ०-104, 105, दिनांक-14.06.2021; एस०ओ०-106, दिनांक-16.06.2021; एस०ओ०-108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,

115, 116, दिनांक-01.07.2021 एवं एस०ओ०-117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, दिनांक-09.07.2021 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

9. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए)(2) के तहत् बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2016-17 के आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
10. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
11. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा ''खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957'' की धारा-28(3) एवं ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019'' के नियम-90 के तहत् ''बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021'' की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 (4) के तहत् बिहार सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2016-17 का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 2017-18 का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
13. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत् बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2009-10 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021
2. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
3. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
4. बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
5. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021
6. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021
7. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
8. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021

चर्चा

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को विधायी कार्य के पश्चात् सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के दौरान दिनांक 23 मार्च, 2021 को सदन में घटित हुई घटना पर चर्चा किया गया ।

याचिका

इस सत्र में कुल 65 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 61 स्वीकृत हुए तथा 04 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 122 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 121 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 01 अस्वीकृत हुए। स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 822 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, इन 822 प्रश्नों में कुल 18 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 16 के उत्तर प्राप्त हुए, 608 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 566 के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 153 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 33 के उत्तर प्राप्त हुए।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 103 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 89 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 06 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 69 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 66 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 03 अस्वीकृत हुए। स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 63 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 01 सूचना सदन द्वारा स्वीकृत हुये तथा 02 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन एवं कोरोना काल में मृत व्यक्तियों के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय मेवालाल चौधरी, पूर्व मंत्री एवं स०वि०स०
2. स्वर्गीय शशि भूषण हजारी, स०वि०स०
3. स्वर्गीय हरि नारायण चौधरी, स०वि०प०
4. स्वर्गीय तनवीर अख्तर, स०वि०प०
5. स्वर्गीय मोहम्मद वली रहमानी, पूर्व स०वि०प०
6. स्वर्गीय बन्दी उरांव, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय साइमन मरांडी, माननीय पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय प्रोफेसर अरूण कुमार, पूर्व सभापति, विधान परिषद
9. स्वर्गीय निएल तिर्की, पूर्व स०वि०स०
10. स्वर्गीय प्रेम नारायण गढ़वाल, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०प०
11. स्वर्गीय कुंती देवी, पूर्व स०वि०स०
12. स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद राय, पूर्व स०वि०स० एवं स०वि०प०
13. स्वर्गीय बसंत कुमार लाल, पूर्व स०वि०प०
14. स्वर्गीय विजय कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स०
15. स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा, पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व स०वि०स०
16. स्वर्गीय डॉ० मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व स०वि०स०

17. स्वर्गीय जोरावर राम, पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व स०वि०स०

18. स्वर्गीय शालीग्राम यादव, पूर्व स०वि०स०

19. स्वर्गीय भरत सिंह, पूर्व स०वि०स०

20. स्वर्गीय शिवेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०प०

21. स्वर्गीय राम कृष्ण यादव, पूर्व स०वि०स०

22. स्वर्गीय अकील हैदर, पूर्व स०वि०स०

23. स्वर्गीय राम चन्द्र सिंह, पूर्व स०वि०स०

24. स्वर्गीय प्रोफेसर राघव प्रसाद, पूर्व स०वि०स०

25. स्वर्गीय राम विचार राय, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०

26. स्वर्गीय डॉ० रमेन्द्र कुमार यादव "रवि", पूर्व सांसद एवं पूर्व स०वि०स०

27. स्वर्गीय रघुनन्दन लाल भाटिया, पूर्व राज्यपाल, बिहार

28. स्वर्गीय विजय सिंह यादव, पूर्व राज्य सभा सदस्य एवं पूर्व स०वि०स०

29. स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, बिहार एवं पूर्व सांसद

30. स्वर्गीय सूर्य देव राय, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०

31. स्वर्गीय इन्द्रा नन्द यादव, पूर्व स०वि०स०

32. स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०

33. स्वर्गीय जनार्दन मांझी, पूर्व स०वि०स०

34. कोरोना काल में मृत चिकित्सकों एवं अन्य व्यक्तियों

दिनांक 30 जुलाई, 2021 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

20.9.21

(अनिल कुमार जायसवाल)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....

....

....